

## हरियाणा बकाया जल शुल्क माफ करेगा

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में राज्य में ग्रामीण परिवारों के लिये **₹372.13 करोड़ बकाया जल शुल्क**, जिसमें अधिभार (सरचार्ज) और ब्याज भी शामिल है, माफ करने का निर्णय लिया गया।

### मुख्य बटु:

- सूत्रों के मुताबिक इस छूट से **28.87 लाख जल कनेक्शन धारकों** को फायदा होगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होता है।
- कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिये 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक जमा 336.35 करोड़ रुपए की पेयजल शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है।
  - इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है।
- पर्यावरण पर्यटन नीति के विकास को भी मंजूरी दी गई है। यह नीति हरियाणा के विविध परदृश्यों के संरक्षण पर जोर देती है।
- इनमें दो राष्ट्रीय उद्यान, सात वन्यजीव अभयारण्य, दो रामसर स्थल, दो संरक्षण रजिस्टर और पाँच सामुदायिक रजिस्टर शामिल हैं।
  - इसमें बहुत से वशिष्ट पशु आवास पारस्थितिकी तंत्र भी शामिल हैं, जिनमें अरावली पर्वत शृंखला, शवालिकि पहाड़ियाँ, समृद्ध जैवविविधता, सघन जंगल, जल नकियाय और दर्शनीय स्थल शामिल हैं।